2022/303

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगगांनगर

गुरदित्त सिंह बनाम स्टेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

प्रा0 पत्र संख्या - 616/2022

GCMS संख्या : 2022/303

29.07.2022 यह पत्रावली प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत जरिये वकील श्री सुरेन्द्र गोदारा के प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करके अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.08.2022 को पेश हो।

22.8.22 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट को भेजा गया नोटिस बाद तामिल प्राप्त। जवाब स्टेट हेतु पत्रावली दिनांक 07.9.22 को पेश हो।

07.9.22 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। जवाब स्टेट प्राप्त। प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि तहसील घड़साना के चक 9 TWM मु.नं. 169/52 की 2.024 है० व 169/60 की 3.010 है० भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी की जाति सहवन से जाट दर्ज हो गई है जबकि आवंटन आदेश में प्रार्थी की सही जाति जटसिख अंकित है एवं प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों जाति प्रमाण पत्र इत्यादि में भी प्रार्थी की सही जाति जटसिख अंकित है इसलिए राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

~~करते हुए प्रार्थी की जाति अटवाल की जगह~~ जाट ~~दर्ज~~ की जगह अटवाल दर्ज की जावे। स्टेट ने आपके जवाब में अंकित किया है कि उक्त वादग्रस्त खाता वसली द्वारा नामांतरण संख्या 54 दिनांक 10/12/96 गुरदित सिंह पुत्र जीतसिंह जाट साकिन धरंगावाली तहसील करणपुर पु०आ० दर्ज हुआ। आर.ओ.आर. दर्ज होने से पूर्व गुरदित सिंह पुत्र जीतसिंह जाति अटवाल दर्ज था। इसके अतिरिक्त स्टेट ने कोई ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRAct स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील घड़साना के चक 9 LWM के प.नं. 169/60 किला नं. 2 ता 8, 14 ता 17, 25 की 3.010 है० व प.नं. 169/52 किला नं. 1 ता 6, 9 ता 10 की 2.024 है० कुल 5.034 हैक्टेयर भूमि जो कि वर्तमान में प्रार्थी के नाम दर्ज है, की जमाबन्दी व राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की जाति जाट के स्थान पर दुरुस्त करते हुए अटवाल दर्ज करने का आदेश किया जाता है एवं तहसीलदार राजस्व घड़साना को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

फर्द अहकाम

ीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 07.09.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। (अभिलाषा) उपखण्ड अधिकारी घड़साना	